प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

बुक नं0

1. जिला **ओपी एसीबी, जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर** थाना **प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यू0 जयपुर** वर्ष **2023**
प्र0इ0रि0 सं. ......48/2023.............................दिनांक.......28/2/2023...................................

2. (I) * अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण**(संशोधन) अधि. 2018**........... धाराये...........7,
(II) * अधिनियम..........**भा. दं. सं**..................धारायें ....120 बी.......................................
(III) * अधिनियम .... धारायें ....
(IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....544.............. समय ...6:30 PM
(ब) * अपराध घटने का वार.....**सोमवार**......दिनांक....27.02.2023 समय 12.49 पी.**एम से**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक **13.12.2022**

4. सूचना की किस्म :–लिखित/मौखिक– **लिखित**

5. घटनास्थल :–.............
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:–लगभग ...45....... किलोमीटर
(ब)*पता........ ....
....बीट संख्या..........................जयरामदेही सं.................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम श्री श्री धनालाल उर्फ धन्नालाल
(ब) पिता/पति का नाम श्री बलदेव राम जाट
(स) जन्म तिथी/वर्ष वर्ष.....उम्र .31.. साल..
(द) राष्ट्रीयता ....**भारतीय**..
(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि ....
जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय ....**खेतीबाडी**...
(ल) पता – निवासी बाजडोलिया की ढाणी, ढाणी नागान तहसील जोबनेर जिला जयपुर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –
1– श्री गोकुलचन्द वर्मा पुत्र श्री गिरधारी लाल वर्मा जाति वर्मा उम्र 58 साल, निवासी मकान नंबर 39, निरंकारी कॉलोनी, गोकुलपुरा कालवाड रोड जयपुर हाल सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति जोबनेर।
2– श्री पवन कुमार सैनी पुत्र श्री बनवारी लाल सैनी, उम्र 51 साल, जाति माली निवासी मकान नं. 55 अशोक विहार, न्यू सांगानेर रोड, वरूण पथ के सामने मान्यावास जयपुर हाल अतिरिक्त विकास अधिकारी पंचायत समिति जोबनेर।
3– श्री दयालचन्द पुत्र श्री भीवाराम, जाति जाट, उम्र 51 साल, निवासी सुरसिंहपुरा, थाना फुलेरा जयपुर हाल निवासी प्लॉट नं. 64, सरस्वती नगर, पंडितजी की थडी मनोहर पैलेस के सामने, पुलिस थाना झोटवाडा जयपुर हाल सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति जोबनेर व अन्य।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.......................................
....——...

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)....
..............................रिश्वती राशि ......**45000**/– रूपये

10. * चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .... रिश्वती राशि **45000**/–

11. * पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

निवेदन है कि दिनांक 13.12.2022 को परिवादी श्री श्री धनालाल उर्फ धनालाल s/o बलदेव राम जाट निवासी बाजडोलिया की ढाणी, ढाणी नागान तहसील जोबनेर जिला जयपुर ने ए.सी.बी. कार्यालय उपस्थित होकर एक हस्तलिखित शिकायत इस आशय की प्रस्तुत कि " सेवा में श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर विषय– रिश्वत मांगने वाले कर्मचारियो के खिलाफ कार्यवाही करने बाबत। महोदय उपरोक्त विषय में निवेदन है की मे धनालाल s/o बलदेव राम जाट निवासी बाजोलिया की ढाणी नागान तहसील जोबनेर जिला जयपुर का रहने वाला हुँ। मैं मेरे गांव में खेती बाडी का काम करता हुँ साथ में सामाजिक कार्य भी करता हुँ। मेरा गांव ग्राम पंचायत ढाणी नागान में आता है और ग्राम पंचायत ढाणी नागान के वर्तमान में राजेन्द्र प्रसाद कुमावत सरपंच के पद पर वर्ष 2020 से कार्यरत है, सरपंच साहब श्री राजेन्द्र प्रसाद कुमावत ने पदीय कर्तव्यो का दुरूपयोग कर मिसल संख्या 15/21 पट्टा संख्या 17, दिनांक 22.10.21 के द्वारा श्रवण लाल s/o रूपनारायण कुमावत मिसल संख्या 18/21 पट्टा संख्या 18, दिनांक 22.10. 21 श्री सीताराम s/o रूपाराम तथा मिसल संख्या 24/21 पट्टा संख्या 5 तेजप्रकास पुत्र खेमाराम कुमावत दिनांक 27.12.21 जारी किये थे उक्त पट्टो के सम्बन्ध में ग्राम पं. ढाणी नागान के ग्राम विकास अधिकारी से अगस्त 22 में सूचना के अधिकार के तहत सुचना मांगी थी तो ग्राम विकास अधिकारी के कार्यालय पत्रांक sp-1 दिनांक 24.08.22 के जारी पटटो की सूचना मुझे प्राप्त हुई तो मैंने पाया की उक्त वर्णित पटटे जारी होना नही पाया गया उपरोक्त तीनो पटटे फर्जी है। सरपंच साहब द्वारा जारी फर्जी पटटो के संबन्ध में मैंने दिनांक 26.08. 22 को एक शिकायती प्रार्थना पत्र कार्यालय जिला परिषद जयपुर के सीईओ को पेश किया जिसमे सरपंच जी राजेन्द्र कुमावत द्वारा पद का दुरूपयोग कर फर्जी पटटे बनाकर उनका रजिस्टेसन उप पंजियन कार्यालय में करवा दिया है तथा उक्त पटटो का ग्राम पंचायत में ना तो कोई रिकार्ड है ओर ना ही ग्राम विकास अधीकारी को इसकी जानकारी भी नही है के तथय अंकित किये है सीईओ साहब ने मेरे शिकायती प्रार्थना पत्र की जांच करने हेतु विकास अधिकारी पचांयत समिति जोबनेर को जरिये पत्र कमांक 3117 दिनांक 30.08.22 जारी किया था इसके बाद में बिडियो साहब से जाकर मिला तो मुझे अवगत कराया की मेने तीन अधिकारीयो की कमेटी बना दी है कमेटी जांच कर रही है तो मेने कमेटी के सदस्यो श्री गोकुल जी वर्मा, श्री पवन जी सेनी व श्री दयाल जी बटेषर से जाकर मिला ओर मेरी शिकायत की जांच जल्दी करने हेतु निवेदन कीया मेने 6–7 बार मिलकर जांच जल्दी करने हेतु निवेदन किया कीन्तु मेरी जांच मे कोई कार्यवाही नही हुई पुन कमेटी के सदस्यो से मिला तो उन्होने मुझ से जांच में सरपंच को दोषी बनाकर जांच शीघ्र करने के लिए ढेड लाख से 2 लाख रूपये मांग कर रहे है, मे उन्हने अपने इस काम के लिए रिस्वत नही देना चाहाता हूँ, मै रिस्वत में पकडवाना चाहाता हु मैने सरपंच व अन्य के खिलाफ फर्जी पटटे जारी करने के सबंध में थाना जोबनेर में मु. न. 278/22 दर्ज करवाया है कानुनी कार्यवाही करने की कृपा करे। धनालाल बलदेवराम जाति जाट नि. बाजडीलिया की ढाणी नागान त. जोबनेर मो. न. 9001929294 ।" इसके पश्चात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी श्री धनालाल से आपस में परिचय करवाकर परिवादी के प्रार्थना पर अग्रिम कार्यवाही करने का पृष्ठांकित कर सुपुर्द किया जाने पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी व उसका प्रार्थना पत्र साथ लेकर अपने कक्ष में आयी तथा उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर परिवादी से मजिद दरियाफ्त करने पर परिवादी ने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत कथनो की ताईद की व बताया जब भी मैं कमेटी के सदस्य श्री गोकुल, श्री पवन जी व श्री दयाल जी से मेरी शिकायत की जांच हेतु मिलने पर वो मुझे मेरी शिकायत की जांच जल्दी कर देने के लिए भी बोलते है, साथ ही मुझसे जांच रिपोर्ट भिजवाने की एवज में खर्चे पानी के रूप में रूपयों की मांग करते है। लेकिन इतना समय होने के बाद भी मेरी शिकायत की जांच पर अभी तक कोई कार्यवाही करके रिपोर्ट जिला परिषद नहीं भिजवायी। परिवादी का जांच कमेटी के सदस्यो एवं अन्य संबंधित व्यक्तियो से कोई उधार का लेन–देन नही है व नाही कोई आपसी झगडा व रंजिश है। प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं परिवादी से की गयी दरियाफत से मामला रिश्वत लेन देन का पाया जाने पर ट्रेप कार्यवाही से पूर्व मांग सत्यापन कार्यवाही किया जावेगा, इसलिये श्री इन्द्रसिंह कानि. नं. 148 को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाया तथा उनका व परिवादी श्री धनालाल का आपस में परिचय करवाया। श्री इन्द्र सिंह कानि 148 से कार्यालय की आलमारी से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड SANDISK 32 GB निकलवाकर उसका खाली होना सुनिश्चित करवाकर परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू व बंद करने की प्रकिया की समझाईश की तथा दिनांक 03.01.2023,09.01.2023, 16.01.2023 व दिनांक 23.01.2023 को मांग सत्यापन की कार्यवाही की गई, उक्त वार्ताओ की सरी सरी तौर पर सुना जाने पर मांग सत्यापन की पुष्टि होना पाई गई तथा दिनांक

03.01.2023 को मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री पवन कुमार सैनी अति विकास अधिकारी द्वारा 50,000 रूपये की मांग कर दैराने मांग सत्यापन 5000 रूपये व दिनांक 16.01.2023 को मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री गोकुलचन्द वर्मा सहायक विकास अधिकारी द्वारा 1500 रूपये प्राप्त किये।

दिनांक 24.02.2023 को स्वतंत्र गवाहान् एवं परिवादी उपस्थित आये तथा स्वतंत्र गवाह श्री रवि मीणा एवं श्री हनुमान सोनी को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं का परिचय देकर उनका नाम–पता पुछा तो उन्होने आपना नाम क्रमशः श्री रवि मीणा पुत्र श्री धर्मचंद मीणा, हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय अधिक्षण अभियंता जल संसाधन, वृत जयपुर एंव श्री हनुमान सोनी पुत्र स्व. श्री सीताराम जी सोनी, हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता जल संसाधन संभाग जयपुर बताया। कार्यालय में उपस्थित स्वतंत्र गवाहान श्री रवि मीणा एवं श्री हनुमान सोनी से परिवादी श्री धनालाल उर्फ धन्नालाल का आपस में परिचय करवाया गया तथा ट्रैप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति चाहने पर उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान ने अपनी–अपनी मौखिक सहमति प्रदान करने पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढवाया गया । इस समय परिवादी श्री धनालाल उर्फ धन्नालाल एवं स्वतंत्र गवाहो के समक्ष दिनांक 03.01.2023, 16. 01.2023 को परिवादी एवं संदिग्ध आरोपीगण के मध्य हुई मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कॉर्ड में रिकॉर्ड है,उक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को कार्यालय के लैपटॉप में जोडकर स्वत्रतंत्र गवाहान को सुनाया गया।

इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री धनालाल उर्फ धन्नालाल को स्वतंत्र गवाहान् के समक्ष संदिग्ध आरोपीगण श्री पवन कुमार सैनी अति विकास अधिकारी पंचायत समिति जोबनेर जयपुर व श्री गोकुलचन्द वर्मा सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति जोबनेर जयपुर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 45000/– रूपए पेश करने के लिये कहा, जिस पर परिवादी श्री धनालाल उर्फ धन्नालाल ने अपने पास से 500–500 रूपये के 90 नोट कुल 45000/–रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर मन् पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर को पेश किये। परिवादी द्वारा पेश शुदा नोटो को गवाहान् व परिवादी को दिखाया जाकर नोटो के नम्बरो का अंकन फर्द में करवाकर नम्बरों का मिलान स्वतंत्र गवाहान् से करवाया गया। तत्पश्चात श्रीमती रजनी मीणा महिला कानि. 127 से कार्यालय की आलमारी में रखे फिनोफ्थैलीन पाऊडर की शीशी मंगवाई जाकर फिनोफ्थैलीन पाउडर एक अखबार पर निकलवाकर 45000/– रूपये के नम्बरी नोटो पर श्रीमती रजनी मीणा महिला कानि. 127 से भली–भांति से लगवाया गया। इसके बाद परिवादी श्री धनालाल उर्फ धन्नालाल की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री रवि मीणा से लिवाई जाकर उसके पास पहने हुये कपडों व एटीएम ,मोबाईल एवं वाहन की चाबी के अलावा कोई वस्तु नहीं मिलने पर परिवादी के पास उक्त सभी सामान को छोडा गया। इसके बाद श्रीमती रजनी मीणा महिला कानि. 127 से फिनोफ्थैलीन पाउडर लगे हुए 45000/– रूपये के नोट परिवादी की पहनी हुई जींस पेन्ट की दाहिनी तरफ की जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को समझाईश की गई कि अब इन पाऊडर युक्त नोटो को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही निकालकर देवे अगर अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोडकर अभिवादन करे हाथ नही मिलावे तथा आरोपी उक्त नोटो को प्राप्त करके कहां रखता है इसका ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त करने के उपरांत अपने सिर पर हाथ फैरकर या मोबाईल पर मिस्ड कॉल अथवा कॉल कर ईशारा करे तथा साथ ही दोनो स्वतंत्र गवाहो को भी हिदायत दी गई कि आप यथासम्भव परिवादी व आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का प्रयास करें साथ ही समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी आवश्यक हिदायतें दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द दृष्टांत एवं सुपुदर्गी डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल कार्यवाही की गयी। मन् पुलिस निरीक्षक ने कानि. इन्द्र सिंह को परिवादी धनालाल उर्फ धन्नालाल मय गवाह श्री रवि मीणा को परिवादी की गाडी में तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री मूल चन्द मीना, श्री हवासिंह मु. आरक्षी नंबर 09, श्री सरदार सिंह कानि न 187,रजनीश कानि न 228, श्रीमती नीलम मकानि 22, श्री रोहित सेपट कनिष्ठ सहायक, श्री ब्रहमप्रकाश हैडकानि स्वतंत्र गवाह हनुमान सोनी मय लैपटॉप प्रिन्टर मय ट्रैप बॉक्स मय अन्य सामग्री के साथ के एसीबी कार्यालय से जोबनेर के लिए प्राईवेट वाहन सं. आरजे टीई 6135 एवं आरजे 14 टीएफ 1990 मय चालक क्रमशः धर्मेन्द्र सिंह नरूका एवं दिनेश सिंह परमार व सरकारी वाहन मय चालक के साथ गोपनीय कार्यवाही हेतु पृथक–पृथक रवाना होकर पंचायत समिति जोबनेर से कुछ दूरी पूर्व पहुॅचे तथा परिवादी के वाहन में परिवादी व इन्द्रसिंह कानि मय स्वतंत्र गवाह के पहुॅचे। वाहनो को रोड पर एक साईड में खडा करवाया गया तथा समय 12.40 पीएम पर परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड चालू करने की

हिदायत देकर संदिग्ध आरोपीगण को रिश्वत राशि देने के लिए कार्यालय पंचायत समिति जोबनेर रवाना किया तथा कानि. इन्द्र सिंह व स्वतंत्र गवाह श्री रवि मीणा को परिवादी के पीछे–पीछे गोपनीयता बनाए रखते हुए रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय एसीबी जाप्ता व स्वतंत्र गवाह आसपास गोपनीय रूप से मुकिम हुए। कुछ समय पश्चात परिवादी पंचायत समिति जोबनेर के कार्यालय से बाहर आया तथा दूर से ही मना करने का हाथ से ईशारा किया और डिजिटल वायस रिकॉर्डर बंद कर मुझे श्री इन्द्र सिंह कानि ने दिया और परिवादी ने मुझे बताया कि मैने अपने मोबाईल का लाउडस्पीकर ऑन कर अपने मोबाईल नम्बर 9001929294 से गोकुलचन्द वर्मा सहायक विकास अधिकारी के मोबाईल नम्बर 8107952624 पर वार्ता करने पर श्री गोकुलचन्द ने बताया कि मै आज अवकाश पर हूँ, जिस पर परिवादी ने कहा कि मै आपकी मिठाई लेकर आया हू तो श्री गोकुलचन्द ने कहा कि आपके पास रख लो में रविवार या सोमवार को ले लूंगा, परिवादी ने श्री पवन कुमार सैनी के बारे में श्री गोकुलचन्द से पूछा तो उसने बताया कि श्री पवन कुमार सैनी भी अवकाश पर है। इसके पश्चात डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरिक्षत रखा तथा पंचायत समिति के पास से मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी मय स्वतंत्र गवाहान व एसीबी जाप्ता के रवाना होकर जोबनेर कालवाड हाईवे पर मैट्रिक्स स्कुल के पास पहुँचे तथा जहां वाहनों को साईड में खडा करवाया तथा स्वतंत्र गवाहान को आज की कार्यवाही के बारे में बताया कि आज दोनो संदिग्ध अधिकारी अवकाश पर है इसलिये उक्त कार्यवाही आईन्दा की जावेगी। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी के पहने हुहे जीन्स पेन्ट के सामने की बायी साईड की जेब में रखे रिश्वत राशि 45000 रूपये स्वतंत्र गवाहान श्री रवि मीणा से निकलवाई जाकर एक प्लास्टिक की थैली में रखकर एक लिफाफे में स्वंतत्र गवाहान रवि मीणा के पास सुरिक्षत रखवाये तथा परिवादी ने बताया कि उक्त संदिग्ध श्री गोकुलचन्द व श्री पवन कुमार सैनी से जब सम्पर्क होगा तो मै आपको सूचित कर दूंगा एवं मेरे आज जरूरी कार्य है इसलिये मै एसीबी कार्यालय नही चल सकता हूँ तथा परिवादी ने बताया कि सोमवार को ग्राम पंचायत भवन बस्सी नागा जयपुर में प्रशिक्षण है जहां पर ही आरोपीगण मिल जायेगे, इस पर परिवादी को मुनासिब हिदायत दी जाकर रूख्स्त किया व मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय हमराहियान जाप्ता के पृथक पृथक रवाना होकर एसीबी कार्यालय पहुँचे तथा स्वतंत्र गवाहान श्री रवि मीणा के पास सुरक्षित रखी रिश्वत राशि 45000 रूपये प्लास्टिक की थैली मय लिफाफे सहित कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाये तथा श्री रवि मीणा के हाथ साबून पानी से अच्छी तरह धुलवाये तथा गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर स्वतंत्र गवाहान को रूखस्त किया।

परिवादी के बताये अनुसार आरोपीगण दिनांक 27.02.2023 को उससे रिश्वत राशि लेन के लिए मिलेंगे, जिस पर दिनांक 27.02.2023 को स्वतंत्र गवाहान् श्री रवि मीणा एवं श्री हनुमान सोनी एवं चौकी हाजा का स्टॉफ एवं प्राईवेट वाहन चालक मय वाहन उपस्थित है तथा परिवादी ने जरिये दूरभाष बताया कि मैं आपको हिंगोनिया मोड के पास मिल जाउंगा तथा उक्त संदिग्ध आरोपीगण जोबनेर जयपुर हाईवे जयपुर टोल नाके के पास ग्राम पंचायत बस्सी नागा के भवन में मिटिंग होने से वहीं उपस्थित मिलेंगे। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रखवायी गयी फिनोफ्थलीन युक्त रिश्वती राशि 45000/– रूपये जो प्लस्टिक की थैली मय कागज के लिफाफे को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्रीमती रजनी मीणा महिला कानि. से निकलवायी जाकर प्राईवेट वाहन ओरा आर जे 14 टीएफ 2444. की डेस्क में रखवायी गयी तथा ट्रैप पार्टी सदस्य व स्वतंत्र गवाहान के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह धुलवाये गये व श्रीमती रजनी मीणा को उक्त वाहन की आगे की सीट पर बैठाया गया व कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रखे डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को निकालकर उसमें पूर्व में हुई मांग सत्यापन वार्ताओ का होना सुनिश्चित कर श्री इन्द्र सिंह कानि को साथ लेकर चलने के लिए सुपुर्द किया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री मूल चन्द मीना, श्री हवासिंह मु. आरक्षी नंबर 09, श्री सरदार सिंह कानि न 187,रजनीश कानि न 228, श्रीमती नीलम मकानि 22, श्री रोहित सेपट कनिष्ठ सहायक, श्री प्रदीप कानि. 245, श्रीमती पिंकी कंवर शेखावत कानि. नं 11, श्री इन्द्र सिंह कानि. डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड, स्वतंत्र गवाह हनुमान सोनी एवं रवि मीणा मय लैपटॉप प्रिन्टर मय ट्रैप बॉक्स मय अन्य सामग्री के साथ एसीबी कार्यालय से जोबनेर के लिए प्राईवेट वाहन सं. आरजे 14 टीई 6135 एवं आरजे 14 टीएफ 2444 मय चालक क्रमशः धर्मेन्द्र सिंह नरूका एवं सचिन परमार मय सरकारी वाहन मय चालक के साथ गोपनीय कार्यवाही हेतु पृथक–पृथक रवाना होकर हिंगोनिया मोड पहुँचे, जहां पर वाहनो को रोड पर एक साईड में खडा करवाया गया तथा कुछ समय पश्चात परिवादी श्री धनालाल भी स्वयं के वाहन से उपस्थित आया जिसका मन् पुलिस निरीक्षक ने पुनः दोनो स्वतंत्र गवाहान् से परिचय करवाया गया तथा परिवादी ने बताया कि दिनांक 24.02.2023 को मेरी गोकुलचन्द वर्मा व श्री पवन कुमार सैनी से वार्ता हुई थी तो उन्होनें कहा कि सोमवार को ग्राम पंचायत बस्सी नागा में प्रशिक्षण हेतु संदिग्ध आरोपीगण

आयेगे तथा रिश्वत राशि भी वही लेंगे। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में श्रीमती रजनी मीणा महिला कानि से वाहन के डेस्क बोर्ड में रखवाये गये रिश्वत राशि जो प्लास्टिक की थैली मय लिफाफे में रखी है उक्त रिश्वत राशि को श्रीमती रजनी मीणा से निकलवाया जाकर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को दिखाकर श्रीमती रजनी मीणा से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी साईड की जेब में रखवाया गया तथा उक्त प्लास्टिक की थैली व कागज के लिफाफे को श्रीमती रजनी मीणा से जलवाया जाकर नष्ट किया तथा श्रीमती रजनी मीणा व ट्रैप पार्टी सदस्यगण व स्वतंत्र गवाहान के हाथ साफ पानी व साबुन से अंच्छी तरह धुलवाये गये तथा श्रीमती रजनी मीणा को जयपुर एसीबी कार्यालय के लिए रवाना किया। उक्त कार्यवाही की पृथक विस्तृत फर्द सुपुर्दगी तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही की गई।

इसके पश्चात परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान एसीबी जाप्ता व परिवादी के वाहन में इन्द्र सिंह व स्वतंत्र गवाहान श्री रवि मीणा के रवाना किया तथा शेष जाप्ता पृथक पृथक रवाना होकर ग्राम पंचायत बस्सी नागा टोल नाका जोबनेर जयपुर हाईवे के पास पहुँचे, जहां पर वाहनो को साईड मे खडा करवाया जाकर परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्ड मय मेमोरी कार्ड को चालू कर समय 12.19 पीएम.पर संदिग्ध आरोपीगण को रिश्वत राशि देने के लिए ग्राम पंचायत बस्सी नागा के अन्दर रवाना किया तथा कानि. इन्द्र सिंह व स्वतंत्र गवाह श्री रवि मीणा को परिवादी के पीछे–पीछे गोपनीयता बनाए रखते हुए रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय एसीबी जाप्ता व स्वतंत्र गवाह आसपास गोपनीय रूप से मुकिम हुए। परिवादी श्री धनालाल उर्फ धन्नालाल ने 12.49 पीएम पर पंचायत भवन बस्सी नागा जोबनेर के बाहर निकलकर पूर्व निर्धारित ईशारा सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत लेन–देन का नियत ईशारा किया, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान मय एसीबी जाप्ता के परिवादी श्री धनालाल उर्फ धन्नालाल के पास गए तथा परिवादी श्री धनालाल उर्फ धन्नालाल से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर कब्जा एसीबी लिया व परिवादी ने बताया कि श्री गोकुलचन्द वर्मा ग्राम पंचायत भवन के गेट के पास कुर्सी पर बैठे है जिन्होंने रिश्वत राशि 45000 रूपए प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी साईड की जेब में रख लिए है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान व स्वतंत्र गवाहान के परिवादी श्री धनालाल उर्फ धन्नालाल को साथ लेकर पंचायत भवन बस्सी नागा के अन्दर गये, जहां पर कमरा नंबर 4 में कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति की ओर ईशारा करके बताया कि यह श्री गोकुलचन्द वर्मा, सहायक विकास अधिकारी है जिन्होने अभी अभी मेरे से स्वयं व श्री पवन कुमार सैनी अतिरिक्त विकास अधिकारी व श्री दयालचन्द जाट सहायक विकास अधिकारी के लिए 45000 रूपये अपने हाथ से प्राप्त कर पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी साईड की जेब में रख लिए। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं व हमराहियान एसीबी जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम गोकुलचन्द वर्मा पुत्र श्री गिरधारी लाल वर्मा जाति वर्मा उम्र 58 साल, निवासी मकान नंबर 39, निरंकारी कॉलोनी, गोकुलपुरा कालवाड रोड जयपुर हाल सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति जोबनेर होना बताया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री धनालाल से रिश्वत राशि 45000 रूपए लेने के बारे में पूछा तो श्री गोकुलचन्द घबराकर गर्दन नीचे कर लिए, इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री गोकुलचन्द वर्मा को पुनः तसल्ली देकर पुछा तो श्री गोकुलचन्द ने बताया कि श्री धनालाल ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर में गांव ढाणी नागान तहसील जोबनेर जयपुर के सरपंच द्वारा फर्जी पट्टे जारी करने की शिकायत करने पर जिला परिषद कार्यालय द्वारा उक्त शिकायत पंचायत समिति जोबनेर में जांच हेतु भिजवायी गयी थी, जिसमें विकास अधिकारी पंचायत समिति जोबनेर द्वारा एक कमेटी बनायी जिसमें मुझे व श्री पवनकुमार सैनी अतिरिक्त विकास अधिकारी व श्री दयालचन्द जाट सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति जोबनेर को जांच हेतु नियुक्त किया गया था। उक्त शिकायतकर्ता श्री धनालाल द्वारा मेरे पास आकर मुझे कहा कि ग्राम ढाणी नागान के सरपंच श्री राजेन्द्र प्रसाद कुमावत से मेरा समझौता हो गया है मैं आपको मिठाई खिला दूंगा उक्त मिठाई खिलाने के पैसे 45000/– रूपए आज दिए है उक्त 45000 रूपए में मेरा व श्री पवन कुमार सैनी व दयालचन्द जाट का हिस्सा है, इस पर आरोपी श्री गोकुलचन्द वर्मा से उक्त रिश्वत राशि के बारे में पुछने पर गोकुलचन्द वर्मा ने बताया कि 45000/– मैंने हाथ मे लेकर स्वयं की पहनी हुई पेंट की जेब में रख कर कमरा नंबर 4 में जाकर बेग में रख दिए व परिवादी के कहने पर मैंने मेरे मोबाईल नंबर 8107952624 से श्री पवन कुमार सैनी के मोबाईल नंबर 9928119522 पर व श्री दयालचन्द जाट सहायक विकास अधिकारी के मोबाईल नंबर 7014453624 पर वार्ता की तो उन्होंने ने कोई जवाब नहीं दिया। उक्त कमरे में एक बेग बरंग काला रखा मिला जिसको स्वतंत्र गवाह श्री रवि मीणा के पास सुरक्षित रखवाया गया। इसके पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से पुछने पर परिवादी ने बताया कि मेरे ग्राम पंचायत में सरपंच श्री राजेन्द्र

प्रसाद कुमावत द्वारा मिसल संख्या 5/21 पट्टा संख्या 17 दिनांक 22.10.21 के द्वारा श्री श्रवणलाल पुत्र श्री रूपनारायण कुमावत, मिसल सं. 18/21 पट्टा संख्या 18 दिनांक 22.10.21 के द्वारा सीताराम पुत्र श्री रूपाराम तथा मिसल सं. 24/21 पट्टा संख्या 5 तेजप्रकाश पुत्र श्री खेमाराम दिनांक 27.12.21 से फर्जी पट्टे जारी किए गए थे उक्त पट्टो की शिकायत मैंने विकास अधिकारी पंचायत समिति जोबनेर व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर में की थी। जिला परिषद जयपुर द्वारा मेरे द्वारा प्रस्तुत शिकायत को पंचायत समिति जोबनेर में जांच हेतु भिजवायी गयी थी। उक्त जांच कमेटी में श्री गोकुलचन्द वर्मा सहायक विकास अधिकारी, श्री पवन कुमार सैनी अतिरिक्त विकास अधिकारी एवं श्री दयालचंद जाट सहायक विकास अधिकारी है। जिसमें उक्त तीनों द्वारा मेरे द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर जांच रिपोर्ट सही करने के एवज में रिश्वत राशि की मांग की जा रही थी। जिसकी शिकायत मैंने एसीबी कार्यालय में दिनांक 13.12.2022 को करने पर एसीबी द्वारा दिनांक 03.01.2023 को श्री पवन कुमार सैनी अतिरिक्त विकास अधिकारी से मांग सत्यापन करने पर श्री पवन कुमार सैनी द्वारा 50,000 रूपए की मांग की गयी तथा मांग सत्यापन के दौरान 5000 रूपए प्राप्त कर लिए। इसके पश्चात दिनांक 16.01.2023 को श्री गोकुलचन्द वर्मा सहायक विकास अधिकारी से मांग सत्यापन करने पर श्री गोकुलचन्द वर्मा द्वारा दौराने मांग सत्यापन 1500/– रूपए प्राप्त कर लिए तथा आज दिनांक को श्री गोकुलचन्द वर्मा द्वारा श्री पवन कुमार सैनी द्वारा की गयी मांग के अनुसरण मे आपसी मिलीभगत कर शेष 45000 रूपए प्राप्त कर पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी साईड की जेब में रख लिए है। उक्त रिश्वत राशि में श्री पवन कुमार सैनी एवं दयालचन्द जाट का भी हिस्सा है। परिवादी ने बताया कि रिश्वत राशि प्राप्त करने के दौरान श्री गोकुलचन्द वर्मा ने मेरे कहने पर स्वयं के मोबाईल से श्री पवन कुमार सैनी व श्री दयालचन्द जाट सहायक विकास अधिकारी के मोबाईल पर वार्ता की थी। इसके पश्चात् श्री पवन कुमार सैनी अतिरिक्त सहायक विकास अधिकारी व श्री दयालचन्द जाट सहायक विकास अधिकारी को डिटेन करने के लिए श्री मूलचन्द मीणा पुलिस निरीक्षक मय एसीबी टीम को पंचायत समिति जोबनेर के लिए रवाना किया जो कुछ समय पश्चात श्री मूलचन्द मीणा मय एसीबी टीम ने श्री पवन कुमार सैनी, श्री दयालचन्द जाट एवं श्री संजीव सहायक विकास अधिकारी मय परिवादी की शिकायत की मूल जांच पत्रावली लेकर कार्यालय ग्राम पंचायत समिति बस्सी नागा उपस्थित आए, जिनको श्री मूलचन्द मीणा पुलिस निरीक्षक मय टीम की निगरानी में रखा गया। इसके पश्चात् आरोपी श्री गोकुलचन्द वर्मा द्वारा अपने हाथ से रिश्वत राशि प्राप्त करने की ताईद करने के लिए परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष एक साफ कांच के गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण में आरोपी श्री गोकुलचन्द वर्मा सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति जोबनेर के दांए हाथ की अंगुली व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया जाने पर धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा–आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क R–1 व R–2 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार अन्य गिलास में सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण तैयार कर उसमें आरोपी श्री गोकुलचन्द वर्मा के बांये हाथ की अंगुली व अंगुठे का धोवन लिया गया तो मिश्रण का रंग बहुत हल्का गुलाबी हो गया जिसे उपस्थित स्वतंत्र गवाहान ने बहुत हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात उक्त धोवण को दो साफ कॉच की शीशीयो में आधा–आधा डालकर ढक्कन लगाकर सील्ड चस्पा कर L-1 व L-.2 मार्क कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये । इसके उपरांत आरोपी श्री गोकुलचन्द वर्मा सहायक विकास अधिकारी के लिए एक लोवर का इंतजाम किया जाकर उसकी पहनी हुई नीले रंग की पेंट की दाहिनी साईड की जेब का धोवन लिए जाने बाबत अन्य साफ कांच के गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उनमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके पश्चात आरोपी गोकुलचन्द वर्मा की पहनी हुई नीले रंग की पेंट की सामने की दाहिनी साईड की जेब का धोवन उक्त तैयारशुदा मिश्रण में लिया गया तो मिश्रण का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे स्वतंत्र गवाहान् एवं उपस्थिगणो ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। इसके पश्चात् उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशीयो में आधा–आधा डालकर मार्क P-1 व P-2 मार्क अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री गोकुलचन्द वर्मा की पहनी हुई पेंट को सुखाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे की थैली में सीलकर शील्ड मोहर कर मार्क P अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाह श्री रवि मीणा के पास पूर्व में सुरक्षित रखे बेग को दोनो स्वतंत्र गवाहान् व परिवादी की उपस्थिति में स्वतंत्र गवाह श्री रवि मीणा से तलाशी

लिवायी गयी तो उक्त बेग की बीच की जेब में 500–500 रूपए के नोट रखे हुए पाए गए जिनको स्वतंत्र गवाह श्री रवि मीणा से बाहर निकलवाया जाकर दोनो स्वतंत्र गवाह से गिनवाने पर 500–500 के 90 नोट कुल 45,000 रूपये होना पाया गया, जिनको पूर्व में बनी फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पॉउडर एवं सोडियम कार्बोनेट तथा सुपुर्दगी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय एसडी/मेमोरी कार्ड में अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तो दोनों गवाहान ने नोटों के नम्बरों का व फर्द मे अंकित नम्बरों के हुबहु मिलान होना बताया, उक्त नम्बरो का विस्तृत विवरण फर्द हाथ धुलाई व बरामदगी रिश्वत राशि में अंकित किया गया, उक्त बरामद शुदा पांच–पांच सौ रूपये के भारतीय चलन मुद्रा के 90 नोट कुल 45,000/– रूपयों को एक सफेद कागज के साथ नत्थी किया जाकर सीलमोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर नोटों को कब्जा एसीबी लिया गया तथा उक्त बेग की बीच की जेब का धोवन लिए जाने बाबत एक साफ कांच के गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उनमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद ट्रैप बाक्स में से स्वच्छ रूई की चिंदी निकालकर बेग की बीच की जेब जहां पर आरोपी श्री गोकुलचन्द वर्मा द्वारा रिश्वत राशि रखी गई थी उक्त स्थान पर रूई की चिन्दी से रगडकर रूई की चिन्दी को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे स्वतंत्र गवाहान् एवं उपस्थिगणो ने गुलाबी होना स्वीकार किया। इसके पश्चात् उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशीयो में आधा–आधा डालकर मार्क B-1 व B-2 मार्क अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये। इसके पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री रवि मीणा से बेग की आगे व पीछे की जेब की तलाशी लिवाई जाने पर जिसमें एक पत्रावली खेजडावास पंचायत व खेजडावास पंचायत की चाबियां मिली। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री गोकुलचन्द वर्मा से उक्त बेग के बारे में पुछने पर बताया कि उक्त बेग श्री प्रमोद सिंह कनिष्ठ सहायक का है, उक्त बेग में मैंने रिश्वत राशि इसलिए रखी थी क्योकि मेरी जेब उठी–उठी लग रही थी। इस पर घटनास्थल पर उपस्थित श्री प्रमोद सिंह को बुलाया जाकर उनका नाम पता पुछने पर बताया कि मेरा नाम प्रमोद सिंह पुत्र श्री उम्मेद सिंह जाति राजपूत, उम्र 54 निवासी प्लॉट नंबर 38, श्री करणी वाटिका, खिरणी फाटक के पास, झोटवाडा जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत खेजडावास पंचायत समिति जोबनेर होना बताया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा बेग में रखी रिश्वत राशि के बारे में पुछने पर श्री प्रमोद सिंह ने बताया कि आज ग्राम पंचायत बस्सी नागा में वार्ड पंचो के प्रशिक्षण कार्यक्रम में मेरी ड्यूटी होने से मैं आया था। श्री गोकुलचन्द वर्मा ने मेरे से बेग मांगने पर मैंने उनको बेग दिया था। मुझे उक्त राशि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जिस पर श्री प्रमोद सिंह कनिष्ठ सहायक को बेग मे रखी एक पत्रावली खेजडावास पंचायत व खेजडावास पंचायत की चाबियां संदिग्ध नहीं होने पर श्री प्रमोद सिंह को सुपुर्द किए गए। इसके पश्चात उक्त बेग को सुखाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे की थैली में शील्ड मोहर कर मार्क B अंकित किया गया तथा चिंदी को सुखाकर एक सफेद कपडे की थैली में सीलकर मार्क C अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिए गए। इस पर गोकुलचन्द वर्मा सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति जोबनेर के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 7 पीसी एक्ट (संशोधित) 2018 व 120 बी आईपीसी प्रथम दृष्टया पाए जाने पर पृथक से जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया।

इसके पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक ने अन्य डिटेन किए हुए एक व्यक्ति को बुलाकर स्वयं व हमराहियान का परिचय देकर उनका नाम–पता पुछा तो उसने अपना नाम पवन कुमार सैनी पुत्र श्री बनवारी लाल सैनी, उम्र 51 साल, जाति माली निवासी मकान नं. 55 अशोक विहार, न्यू सांगानेर रोड, वरूण पथ के सामने मान्यावास जयपुर हाल अतिरिक्त विकास अधिकारी पंचायत समिति जोबनेर होना बताया । तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री पवन कुमार सैनी को परिवादी की तरफ ईशारा कर पुछा कि दिनांक 03.01.2023 को परिवादी श्री धनालाल से 50,000/– रूपए की रिश्वत राशि मांग कर 5000/– रूपए किस बात के मांगे थे तथा दिनांक 03.01.2023 की रिकॉर्ड वार्ता को चलाकर सुनाया गया। इस पर आरोपी श्री पवन कुमार सैनी घबरा गया तथा अपने हाथ के नाखून आपस में रगडने लगा। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पुनः तसल्ली देकर पुछा तो उसने बताया कि मैंने श्री धनालाल से कोई रिश्वत राशि नहीं ली है तथा ना ही कभी रूपयो की मांग की है इस पर परिवादी ने श्री पवन कुमार सैनी की बात का खण्डन करते हुए बताया कि मेरे ग्राम पंचायत में सरपंच श्री राजेन्द्र प्रसाद कुमावत द्वारा मिसल संख्या 5/21 पट्टा संख्या 17 दिनांक 22.10.21 के द्वारा श्री श्रवणलाल पुत्र श्री रूपनारायण कुमावत, मिसल सं. 18/21 पट्टा संख्या 18 दिनांक 22.10.21 के द्वारा सीताराम पुत्र श्री रूपाराम तथा मिसल सं. 24/21 पट्टा संख्या 5 तेजप्रकाश पुत्र श्री खेमाराम दिनांक 27.12.21 से फर्जी पट्टे जारी किए गए थे उक्त पट्टो की शिकायत मैंने विकास अधिकारी पंचायत समिति

जोबनेर व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर में की थी। जिला परिषद जयपुर द्वारा मेरे द्वारा प्रस्तुत शिकायत को पंचायत समिति जोबनेर में जांच हेतु भिजवायी गयी थी। उक्त जांच कमेटी में श्री गोकुलचन्द वर्मा सहायक विकास अधिकारी, श्री पवन कुमार सैनी अतिरिक्त विकास अधिकारी एवं श्री दयालचंद जाट सहायक विकास अधिकारी थे। जिसमें उक्त तीनों द्वारा मेरे द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर जांच रिपोर्ट मेरे पक्ष में सही करने के एवज में रिश्वत राशि की मांग की जा रही थी। जिसकी शिकायत मैंने एसीबी कार्यालय दिनांक 13.12.2022 को करने पर एसीबी द्वारा दिनांक 03.01.2023 को श्री पवन कुमार सैनी अतिरिक्त विकास अधिकारी से सत्यापन करने पर श्री पवन कुमार सैनी द्वारा 50,000 रूपए की मांग की गयी तथा मांग सत्यापन के दौरान 5000 रूपए प्राप्त कर लिए। इस पर श्री पवन कुमार सैनी अतिरिक्त विकास अधिकारी पंचायत समिति जोबनेर के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 7 पीसी एक्ट (संशोधित) 2018 व 120 बी आईपीसी प्रथम दृष्टया पाए जाने पर पृथक से जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया।

इसके पश्चात् डिटेनशुदा अन्य व्यक्ति को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा बुलवाया जाकर उसे स्वयं व हमराहियान का परिचय देकर उनका नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम दयालचन्द पुत्र श्री भीवाराम, जाति जाट, उम्र 51 साल, निवासी सुरसिंहपुरा, थाना फुलेरा जयपुर हाल निवासी प्लॉट नं. 64, सरस्वती नगर, पंडितजी की थडी मनोहर पैलेस के सामने, पुलिस थाना झोटवाडा जयपुर हाल सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति जोबनेर होना बताया। इसके पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आज दिनांक 27.02.2023 को श्री गोकुलचन्द वर्मा द्वारा प्राप्त की गयी रिश्वत राशि 45000/– रूपए में आपका भी हिस्सा होना परिवादी ने बताया है जिस पर श्री दयालचन्द जाट सहायक विकास अधिकारी ने बताया कि मैं पंचायत समिति जोबनेर में सहायक विकास अधिकारी के पद पर पदस्थापित हूँ श्री धनालाल द्वारा की गयी शिकायत के संबंध में जांच कमेटी में सदस्य हूँ। मैंने श्री धनालाल से कोई रिश्वत राशि प्राप्त नहीं की है ना ही कभी इस बारे में बात की है। अभी थोडी देर पहले श्री गोकुलचन्द वर्मा सहायक विकास अधिकारी ने मुझे फोन कर श्री धनालाल द्वारा दिए गए पैसों के बारे में बताया तो मैंने मना कर दिया। तत्पश्चात परिवादी ने दयालचन्द जाट की बात का खण्डन करते हुए बताया कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गयी शिकायत की जांच रिपोर्ट की कमेटी में श्री दयालचन्द जाट सहायक विकास अधिकारी भी सदस्य है इनके द्वारा भी रिश्वत राशि की मांग की जा रही थी तथा 45000 रूपए में इनका भी हिस्सा है। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से पूर्व में प्राप्त किये गये डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को स्वतंत्र गवाहान् व श्री संजीव कुमार सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति जोबनेर जो आरोपीगण के सहकर्मी है एवं परिवादी श्री धनालाल उर्फ धन्नालाल की उपस्थिती में चालू कर सुना गया तो उसमें परिवादी व आरोपीगण के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन व रिश्वत राशि लेन–देन के समय हुई वार्ताऐ रिकॉर्ड होना पायी गई तथा श्री संजीव कुमार आरोपीगण श्री पवन कुमार सैनी एवं श्री गोकुलचन्द वर्मा की आवाज होने की पहचान की तथा परिवादी ने भी स्वयं व आरोपीगण की आवाज की पहचान की। इसके पश्चात् श्री संजीव कुमार सहायक विकास अधिकारी द्वारा पेश की गयी परिवादी श्री धनालाल उर्फ धन्नालाल द्वारा की गई शिकायत की मूल पत्रावली का अवलोकन किया किया जिसमें विकास अधिकारी पंचायत समिति जोबनेर द्वारा तीन सदस्यो की जांच कमेटी नियुक्ति करने का पत्र है जिसमें श्री गोकुलचन्द वर्मा सहायक विकास अधिकारी, श्री पवन कुमार सैनी अतिरिक्त विकास अधिकारी व श्री दयालचन्द जाट सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति जोबनेर सदस्य है तथा विकास अधिकारी प्रस्तुत की गई शिकायत व उनके द्वारा प्रेषित पत्र संलग्न है, उक्त पत्रावली में कुल पेज 01 से लगायत 106 है। उक्त मूल पत्रावली की फोटोप्रतियॉ की जाकर मूल पत्रावली को अग्रिम कार्यवाही हेतु जप्त कर कब्जा एसीबी लिया गया तथा फोटोप्रतियॉ श्री संजीव सहायक विकास अधिकारी को सुपुर्द किया गया तथा फर्द घटना स्थल स्वतंत्र गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में मुर्तिब किया जाकर शामिल कार्यवाही की गयी तथा फर्द बरामदगी व हाथ धुलाई पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई।

मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी गोकुलचन्द वर्मा सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति जोबनेर जयपुर व श्री पवन कुमार सैनी अति विकास अधिकारी को पृथक पृथक नमूना आवाज देने के लिये नोटिस दिया जाने पर आरोपी गोकुलचन्द वर्मा सहायक विकास अधिकारी व श्री पवन कुमार सैनी अति विकास अधिकारी ने अंकित किया कि मै मेरी आवाज का नमूना नही देना चाहता हूँ। उक्त आवाज नमूना के नोटिस को शामिल कार्यवाही किया गया।

दिनांक 28.02.2023 को मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री धनालाल व स्वतंत्र गवाहान स्वतंत्र गवाह श्री रवि मीणा व श्री हनुमान सोनी की उपस्थिति में कार्यालय की अलमारी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डरमय मैमोरी

कार्ड को निकालकर दिनांक 03.01.2023, 09.01.2023,.16.01.2023, 23.01.2023 24.02.2023 व दिनांक 27.02.2023 को परिवादी व आरोपीगण के मध्य हुई मांग सत्यापन वार्ताए व लेन देन वार्ता की सीडीयॉ तैयार की गई व डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड 32 जीबी sandisk कम्पनी को प्लास्टिक के मेमोरी कार्ड कवर में रखकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क SD अंकित कर वजह सबूत जप्त किया गया। उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द को शामिल पत्रावली किया गया।

श्री दयालचन्द जाट सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति जोबनेर भी उक्त जांच कमेटी का सदस्य है तथा मांग सत्यापन वार्ता व लेन–देन वार्ता के दौरान आरोपीगणो व परिवादी के मध्य हुई वार्ताओं के परिपेक्ष्य में दयालचन्द सहायक विकास अधिकारी की रिश्वत लेन देन में 27.02.2023 को सहमति होना प्रकट हो रहा है। अतः श्री दयालचन्द जाट सहायक विकास अधिकारी की संलिप्तता के संबंध में भूमिका को विस्तृत अनुसंधान से ही स्पष्ट किया जाना उचित रहेगा।

इसी प्रकार उक्त घटना में सरपंच के खिलाफ जांच रिपोर्ट विकास अधिकारी पंचायत समिति जोबनेर के नाम जिला परिषद कार्यालय से प्राप्त हुई तथा विकास अधिकारी के द्वारा ही जांच कमेटी गठित की गई एवं संबंधित कार्य विकास अधिकारी के स्तर पर ही लम्बित होने के परिपेक्ष्य के संबंध में श्रीमती सानू अग्रवाल विकास अधिकारी पंचायत समिति जोबनेर की भूमिका को अनुसंधान से ही स्पष्ट किया जावेगा तथा अशोक कुमार की भी मांग सत्यापन वार्ताओ में वार्ता होने से भूमिका संदिग्ध होने से उसकी भूमिका को अनुसंधान से ही स्पष्ट किया जावेगा।

अब तक की कार्यवाही से आरोपीगण श्री गोकुलचन्द वर्मा पुत्र श्री गिरधारी लाल वर्मा जाति वर्मा उम्र 58 साल, निवासी मकान नंबर 39, निरंकारी कॉलोनी, गोकुलपुरा कालवाड रोड जयपुर हाल सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति जोबनेर एवं श्री पवन कुमार सैनी पुत्र श्री बनवारी लाल सैनी, उम्र 51 साल, जाति माली निवासी मकान नं. 55 अशोक विहार, न्यू सांगानेर रोड, वरूण पथ के सामने मान्यावास जयपुर हाल अतिरिक्त विकास अधिकारी पंचायत समिति जोबनेर द्वारा लोकसेवक होते हुये अपनी पदीय स्थिति एंव कर्तव्यों का दुरूपयोग करते हुए आपसी मिलिभगत से परिवादी श्री परिवादी श्री धनालाल उर्फ धन्नालाल द्वारा ढाणी नागान के सरपंच श्री राजेन्द्र प्रसाद कुमावत द्वारा मिसल संख्या 5/21 पट्टा संख्या 17 दिनांक 22.10.21 के द्वारा श्री श्रवणलाल पुत्र श्री रूपनारायण कुमावत, मिसल सं. 18/21 पट्टा संख्या 18 दिनांक 22.10.21 के द्वारा सीताराम पुत्र श्री रूपाराम तथा मिसल सं. 24/21 पट्टा संख्या 5 तेजप्रकाश पुत्र श्री खेमाराम दिनांक 27.12.21 से फर्जी पट्टे जारी किए गए थे उक्त पट्टो की शिकायत की जांच सही करने की एवज में आरोपी श्री पवन कुमार सैनी द्वारा दिनांक 03.01.2023 को 50,000/– रूपये की मांग कर, मांग सत्यापन के दौरान 5,000 रूपये प्राप्त करना व श्री गोकुलचन्द वर्मा द्वारा दिनांक 16.01.2023 मांग सत्यापन वार्ता के दौरान 1500 रूपए प्राप्त करना व दिनांक 27.02.2023 को लेन देने के समय गोकुलचन्द वर्मा ने स्वयं व श्री पवन कुमार सैनी व श्री दयालचन्द जाट के लिए मांग के अनुशरण में आपसी मिलीभगत कर रिश्वती राशि 45,000/– रूपये प्राप्त करना पाया गया। श्री गोकुलचन्द वर्मा पुत्र श्री गिरधारी लाल वर्मा जाति वर्मा उम्र 58 साल, निवासी मकान नंबर 39, निरंकारी कॉलोनी, गोकुलपुरा कालवाड रोड जयपुर हाल सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति जोबनेर एवं श्री पवन कुमार सैनी पुत्र श्री बनवारी लाल सैनी, उम्र 51 साल, जाति माली निवासी मकान नं. 55 अशोक विहार, न्यू सांगानेर रोड, वरूण पथ के सामने मान्यावास जयपुर हाल अतिरिक्त विकास अधिकारी पंचायत समिति जोबनेर व अन्य के विरूद्व अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 एवं 120 बी भादंसं. में अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र एसीबी मुख्यालय जयपुर को प्रेषित की गई।

(अनीता)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर नगर–चतुर्थ जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती अनीता, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री गोकुलचन्द वर्मा, सहायक विकास अधिकारी, 2. श्री पवन कुमार सैनी, अतिरिक्त विकास अधिकारी, 3. श्री दयालचन्द जाट, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति जोबनेर, जयपुर एवं अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 48/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

28.2.23

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 374-77 दिनांक 28.2.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ, जयपुर।

28.2.23

पुलिस अधीक्षक प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।